

फर्द अहकाम
(नियम-26)

राज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

जा वगैरह

बनाम

चेनाराम वगैरह

स्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 306/2015

ख म	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
015	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री रामनारायण चौधरी ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थीगण के पक्ष में, सुविधा का संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि मौजा सोमणा के खेत ख.न. 210/1481, ख.न. 218, ख.न. 218/2, व ख.न. 729 मे से अप्रार्थी सं0 1 के हक हिस्से तक की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मोके की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 10.08.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)</p>	
	<p>10/8/15</p> <p>वकील प्रार्थी 20/8/15 अप्रार्थीगणों की बलवी हेतु सम्मन प्राप्त नहीं हुये है पत्रावली में आदेश की अस्थि आगामी तारीख परी तब कदाई जानी है किलकि 19/10/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p>	

22/6/22 का पत्रावली

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज
16/10 २५	<p> पत्रावली साबुल कूल वाद को अलग फेली - अफन एगरी में खारिफ कर देने से इस सा. पत्र को बसी बनाया खारिफ सिपा जाना है। पत्रावली फेली सुनार रस्य वा. पदत है। </p>